

वन विभाग

विविध

10 फरवरी, 1960 ई.

सं.1115/14-331-50- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का पत्र है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 (ऐक्ट सं. 16, 1927) की धारा 80 की उप धारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारियों को जमाना हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबंधक द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा 80-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्ति अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय 4 के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, फर्लांग और फीटों में	टिप्पणी
39 - बस्ती	1. जी.टी.रोड नेशनल हाइवे	85 मील से 148 मील तक योग 64 मील	भूमि की सीमा द्वारा अंकित की जाएगी
	2. जी.टी.रोड नेशनल हाइवे	मील 89 से 92 बाईपास पूरी लम्बाई 51/2 मील	
	3. बस्ती डुमरियागंज बरहमी रोड	मील 5 फ. 3 से मील 55त्र50 5/8 मील	
	4. खलीलाबाद - मुद्दाल रोड	मील 1 से 15त्र15 मील	
	5. खलीलाबाद - नाथनगर मुखलिसपुर रोड	मील 1 से 13 मी. 4 फ.त्र 12 1/2 मील	
	6. खलीलाबाद रेलवे फीडर	शून्य से 2 फ. तक	
	7. बस्ती - बांसी रोड	शून्य से 32 मील 2 फ.	
	8. बांसी - नौगढ़ रोड	1 फ. 238 फीट से 9 मील 9 फ. तक	
	9. नौगढ़ - शोहरतगढ़	शून्य से 14 मील 2 फ.	
	10. शोहरतगढ़ - नेपाल बार्डर रोड	शून्य से 5 मील 4 फ.	
	11. नौगढ़ - लुम्बिनी गार्डन्स रोड	शून्य से 16 मील 330 फीट	
40- गोण्डा	1. बहराईच - बलरामपुर रोड	मील 29 से 39 तक	
	2. गोण्डा - बलरामपुर रोड	मील 0 से 26 तक	
	3. बलरामपुर - तुलसीपुर रोड	मील 0 से 17 तक	
	4. बलरामपुर - उतरौला रोड	मील 0 से 17 तक	
	5. तुलसीपुर - नेपाल बार्डर रोड	शून्य से 15 तक	

वन विभाग

विविध

10 फरवरी, 1960 ई.

सं.1115/14-331-50- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का पत्र है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 (ऐक्ट सं. 16, 1927) की धारा 80 की उप धारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारियों को खाल हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबंधक द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा 80-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्ति अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय 4 का उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, फर्लांग और फीटों में	टिप्पणी
39 - बस्ती	1. जी.टी.रोड नेशनल हाइवे	85 मील से 148 मील तक योग 64 मील	भूमि की सीमा द्वारा अंकित की गई
	2. जी.टी.रोड नेशनल हाइवे	मील 89 से 92 बाईपास पूरी लम्बाई 5 1/2 मील	
	3. बस्ती डुमरियागंज बरहमी रोड	मील 5 फ. 3 से मील 55त्र50 5/8 मील	
	4. खलीलाबाद - मुद्दाल रोड	मील 1 से 15त्र15 मील	
	5. खलीलाबाद - नाथनगर मुखलिसपुर रोड	मील 1 से 13 मी. 4 फ.त्र 12 1/2 मील	
	6. खलीलाबाद रेलवे फीडर	शून्य से 2 फ. तक	
	7. बस्ती - बांसी रोड	शून्य से 32 मील 2 फ.	
	8. बांसी - नौगढ़ रोड	1 फ. 238 फीट से 9 मील 9 फ. तक	
	9. नौगढ़ - शोहरतगढ़	शून्य से 14 मील 2 फ.	
	10. शोहरतगढ़ - नेपाल बार्डर रोड	शून्य से 5 मील 4 फ.	
	11. नौगढ़ - लुम्बिनी गार्डन्स रोड	शून्य से 16 मील 330 फीट	
40- गोण्डा	1. बहराईच - बलरामपुर रोड	मील 29 से 39 तक	
	2. गोण्डा - बलरामपुर रोड	मील 0 से 26 तक	
	3. बलरामपुर - तुलसीपुर रोड	मील 0 से 17 तक	
	4. बलरामपुर - उतरौला रोड	मील 0 से 17 तक	
	5. तुलसीपुर - नेपाल बार्डर रोड	शून्य से 15 तक	

1/9
1/5

1. गोण्डा	6. बाराबंकी - गोण्डा रोड	मील 24 से मील 55 तक	"
2.	7. फैजाबाद - बहराईच रोड	मील 8 से मील 55 तक	"
	8. गोण्डा - उत्तरौला रोड	मील 1 से 32 (2 फ.)	"
3	9. नवाबगंज - उत्तरौला रोड	मील 1 से 37 (7 फ.)	"
	10. गोण्डा - बेलसर रोड	मील 1 से 12 (2 फ.)	"
	11. बहरामघाट - बहराईच रोड	मील 28 से 35 (4 फ.)	"
	12. जरवल टाउन से जरवल रोड, सी.सी.टी.	मील 1 से 4 (3,3/4फ.)	"
2.	13. करनैलगंज - पराजपुर	मील 1 से 9 (6 फ.)	"
	14. पारवती खारी थावली रोड, सी.सी.टी.	मील 1 से 5 (2 फ.)	"
बहराईच	1. फैजाबाद - बहराईच रोड	मील 50 से मील 74 तक	"
	2. पयागपुर रेलवे फीडर रोड	मील 0 से 5 फ. 362 फीट तक	"
	3. चिलवरिया रेलवे फीडर माल रोड	मील 0 से 2 फ. 196 फीट तक	"
	4. एप्रोच रोड - मालगोदाम रोड बहराईच	मील 0 से 3 फ. 292 फीट तक	"
	5. बहराईच रेलवे स्टेशन	मील 0 से 3 फ. 292 फीट तक	"
	6. एप्रोच रोड - जज कोर्ट	मील 0 से 1 फ. 857 फीट तक	"
	7. दरगाह रोड	मील 0 से 3 फ. 160 फीट	"
	8. बहराईच - बहरामघाट रोड	1 मील से 27 तक	"
	9. बहराईच - न्योरिया रोड	मील 1 से 15 तक	"
	10. बहराईच - बलरामपुर रोड	मील 3 से 29 तक	"
	11. बहराईच - नानपाय रोड	मील 0 से 20 मील 7 फ. 390 फीट तक	"